म0 प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल

दूरभाष क0– 2678402 , 2678468 ई–मेल– gmmarketing123@gmail.com

क0/उपाएवंमि0 /क0मि0निर्देश/16–17/ 8452 /2017 भोपाल, दि0 25 –01–2017

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0
ग्वालियर/शिवपुरी/दतिया/भिण्ड/ श्योपुरकलां
होशंगाबाद/सीहोर/रायसेन/बैतूल/विदिशा
जबलपुर/बालाघाट/मण्डला।

विषय– खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने के संबंध में नीति निर्धारण।

संदर्भ– (1) म.प्र.शासन,खाद्य,नाग.आ. एवं उप.संर.विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.:एफ 61/2012/29–1 दिनांक 23 जनवरी 2017
(2) म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईजल कारपोरेशन मुख्यालय भोपाल का पत्र कमांक/72–मिलिंग/2016–17/1675 दिनांक 23.01.2017
(3) धान की कस्टम मिलिंग प्रक्रिया:खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के संबंध में जारी मुख्यालय का आदेश क0/उपा0एवंमि0/क0मि0प्र0/8338/2017 भोपाल, दिनांक 19.01.2017.

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में प्रदेश में लगभग 19.00 लाख मे0टन धान का उपार्जन संभावित है। उक्त में से विपणन संघ के द्वारा लगभग 7.88 लाख मे0टन धान का उपार्जन किया गया है। इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक धान का उपार्जन होने की स्थिति में उपार्जित धान की मिलिंग समय–सीमा में करवाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है तथा इस हेतु आरम्भ से ही कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करना आवश्यक है।

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित धान की मिलिंग दिनांक 23 जनवरी 2017 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उपार्जित धान की मिलिंग हेतु कम्प्यूट्रीकृत प्रकिया लागू की गई है, जो उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दर्शित निर्देशों के अनुसार है।

खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से विपणन संघ को प्राप्त सी.एम.आर. के गुणवत्ता परीक्षण में अनेक प्रकरणों में मिलर्स द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन नही किया जाना पाया गया। कस्टम मिलिंग से प्राप्त चावल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण किया जाता है। अतः कस्टम मिलिंग में गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सी.एम.आर. प्रदाय न करने वाले मिलर्स के साथ अनुबंध में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विद्य प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

25-01-2017

1. धान मिलिंग के लक्ष्य

1.1 राज्य में धान की कस्टम मिलिंग के उपरान्त निर्मित चावल को म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज़ विपणन संघ अथवा भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय करने की अवधि दिनांक 23 जनवरी 2017 से दिनांक 31 जुलाई 2017 तक रहेगी।

1.2 कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलिंग हेतु न्यूनतम मासिक लक्ष्य निम्नानुसार होंगे –

माह	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
न्यूनतम मिलिंग लक्ष्य (प्रतिशत में)	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	10 %

यदि किन्हीं असामान्य परिस्थितियों के कारण उक्त समय–सीमा में किसी जिले विशेष में मिलिंग समाप्त नहीं हो पाती है, तो शासन की अनुमति प्राप्त होने पर समय–सीमा बढ़ाई जावेगी।

1.3 बालाघाट, सिवनी एवं कटनी जिले में उपार्जित धान का न्यूनतम 10 प्रतिशत उसना चावल तैयार कर निर्देश होने पर भाखानि के केन्द्रीय पूल में परिदान किया जावेगा।

1.4 प्रदेश में धान के वृहद उपार्जन के कारण राज्य की मांग से अधिक सी.एम.आर. चावल प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन के निर्देश पर उपार्जन एजेन्सी मिलर्स को भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल में अनुबंध की 10 प्रतिशत तक की सीमा में सी0एम0आर0 परिदान करने की कार्यवाही करेगी एवं राईस मिलर्स द्वारा तद्नुसार भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा कराया जावेगा।

02. धान की मिलिंग हेतु राईस मिल निर्धारण –

2.1 विपणन संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई धान के हिसाब से सही गुणवत्ता एवं मात्रा का चावल प्राप्त हो सके, इस हेतु मिलिंग के संबंध में लागू की गई कम्प्यूटराईज प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

2.2 खरीफ उपार्जन वर्ष 2016–17 की धान की मिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व मिलर्स को सर्वप्रथम अपना पंजीयन CSMS साफ्टवेयर में करना होगा। मिलर्स के साथ मिलिंग का अनुबंध "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत पर मिल की कार्यशील क्षमता के आधार पर किया जावेगा।

2.3 "प्रथम आओ प्रथम पाओ" का आशय यह है कि जो मिलर्स पहले पंजीयन करेगा, उसके साथ उसकी मिलिंग क्षमता के अनुसार अनुबंध सर्वप्रथम किया जावेगा। इस संबंध में मिलर्स द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं केन्द्र /राज्य शासन द्वारा मिलिंग के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये विपणन संघ द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा।

परन्तु, यह सिद्धांत विगत खरीफ विपणन वर्ष में मिलर्स द्वारा किये गये मिलिंग कार्य के आंकलन अनुसार निम्न वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए लागू किया जावेगा –

1. प्रथम वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनका ट्रेक रिकार्ड पूर्णतः स्वच्छ हो।
2. द्वितीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा विगत वर्ष यथा समय धान नही उठाया गया अथवा नियत समय पर सी.एम.आर. प्रदाय नही किया गया।
3. तृतीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी.एम.आर. उचित गुणवत्ता का नही पाया गया व यथास्थिति प्रदायित सी.एम.आर. बदला गया।
4. चतुर्थ वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी.एम.आर. उचित गुणवत्ता का नही पाया गया व सूचना के उपरांत भी सी.एम.आर. नही बदला गया।

24-01-2017

2.4 मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वरीयता अनुसार चिन्हित मिलों में से निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में राईस मिल से अनुबंध किया जावे –

2.4.1 प्राथमिकता क्रम–एक में राज्य एजेन्सियों द्वारा सर्वप्रथम उन राईस मिल को चिन्हांकित किया जाएगा, जो भंडारण स्थल से न्यूनतम दूरी पर स्थित हों।

2.4.2 प्राथमिकता क्रम–दो के अनुसार जिले के अन्य राईस मिलर्स को चिन्हित करेंगे, किन्तु इनमें भी जो भण्डारण स्थल के सबसे निकट हो, उनके साथ पहले अनुबंध किया जाएगा।

2.4.3 प्राथमिकता क्रम–तीन हेतु आवश्यकतानुसार जिले के पास के जिले के राईस मिलर्स से न्यूनतम दूरी स्थित मिलों को प्राथमिकता देते हुये मिलिंग कराई जावे।

2.4.4 इन सभी प्राथमिकताओं में यह ध्यान रखा जाए कि मासिक लक्ष्य के अधीन न्यूनतम दूरी का सिद्धान्त सदैव लागू रहेगा। समान दूरी वाले राइस मिल में पहले आओ, पहले पाओ की प्राथमिकता रहेगी। किन्तु यह ध्यान रखा जाए कि इससे मासिक लक्ष्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की कमी न रहे तथा समय–सीमा में धान की मिलिग हो जावे।

3. <u>राईस मिलर्स के साथ में अनुबंध –</u>

3.1 उपार्जन एजेन्सियो द्वारा राईस मिलर्स के साथ धान मिलिंग हेतु अनुबंध संलग्न परिशिष्ट–02 के अनुसार किया जावेगा। इस अनुबंध में शासन द्वारा निर्धारित सभी बिन्दुओं का समावेश कर लिया जाए।

3.2 मिलर द्वारा अनुबंध के साथ अमानत राशि रू0 50,000 (रू. पचास हजार मात्र) जमा कराई जाएगी।

3.3 कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत मिलों को अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मिलर के चयन के संबंध में निम्न बिन्दु पर विशेष ध्यान रखा जाए :–

- प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन का प्रमाणीकरण विद्युत कम्पनी से करा लिया जाए ।
- ऐसे राईस मिल जिनके संचालक के विरूद्ध कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन न हो।
- विगत तीन वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोष सिद्ध न हों ।

3.4 पंजीकृत मिल को प्राथमिकता क्रम पर धान मिलिंग क्षमता के आधार पर दी जाएगी।

3.5 मिलर द्वारा विपणन संघ से किये गये कुल अनुबंधों में एक ही सीजन में दो बार अनुबंध अनुसार कार्य नहीं करने की स्थिति निर्मित होने पर उक्त राईस मिलर को उस खरीफ सीजन हेतु ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

3.6 मिलर द्वारा <u>खरीफ सीजन 2016–17 में</u> एक अनुबंध में 03 लॉट सी0एम0आर0 चावल के रिजेक्ट हो जाने/सी0एम0आर0 चावल के अपग्रेड करने की स्थिति में, मिलर को नोटिस दिया जाकर चालू खरीफ सीजन के लिए ब्लेक लिस्ट घोषित कर अनुबंध निरस्त किया जायेगा।

3.7 मिलर द्वारा पूरे खरीफ सीजन में मिलिंग हेतु किये गये कुल अनुबंधों के विरूद्ध मिलिंग उपरांत प्रदायित कुल सी.एम.आर. की मात्रा का 10 प्रति. अथवा अधिक सी.एम.आर. चावल के रिजेक्ट हो जाने/सी0एम0आर0 चावल के अपग्रेड करने की स्थिति में मिलर को नोटिस दिया जाकर चालू खरीफ सीजन के साथ ही आगामी एक मिलिंग वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट घोषित कर अनुबंध निरस्त किया जायेगा।

04. <u>धान का प्रदाय</u>

4.1 मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु सम्पूर्ण स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात् 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है।

4.2 मिलर को एक अनुबंध के अधीन एक बार में अधिकतम 10 लॉट धान प्रदाय की जा सकेगी। धान प्राप्त करने के लिये मिलर द्वारा प्रत्येक लाट के लिए रू0 7.50 लाख (रू. सात लाख पचास हजार मात्र) की राशि बैंक इन्स्ट्रूमेण्ट के माध्यम से देय होगी। मिलर

25-04-2017

द्वारा प्राप्त की जाने वाली धान की सिक्यूरिटी राशि में से कम से कम आधे लॉट्स की राशि (रू. 7.50 लाख प्रति लॉट के मान से) एफडीआर/बैंक गारण्टी/डीडी के माध्यम से जमा की जायेगी, शेष लॉट्स की राशि क्रॉस चेक के माध्यम से जमा की जावेगी।

4.3 मिलर को धान प्राप्त करते समय मात्रा के अनुपात में बैंक गारंटी/ एफ0डी0आर0/डी0डी0 सिक्यूरिटी राशि जो कि कम से कम 10 माह की अवधि के लिए प्रभावशील हो, के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

4.4 अनुबंधित लॉट को मिलर द्वारा निर्धारित अवधि में यदि नहीं उठाया जाता है और न ही निर्धारित अवधि में मिलिंग की जाती है, तो अनुबंध निरस्त कर विपणन संघ द्वारा तय पेनाल्टी संस्थित की जावेगी।

4.5 मिलर को धान का प्रदाय कैप में भंडारित धान में से प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा, केप की धान समाप्त होने पर ही भण्डारगृह की धान प्रारम्भ की जाएगी।

4.6 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तान्तरित किया जाए, किसी भी स्थिति में मिलर को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छंटाई कर धान जारी नहीं किया जाएगा। धान का प्रदाय एक तरफ से/एक ही लॉट से मिलर को किया जाएगा तथा उन्हें छांटकर धान नहीं दिया जाएगा।

4.7 धान का प्रदाय वेब्रिज से तौलकर किया जावेगा।

5. सीएमआर की प्राप्ति

5.1 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उनसे संबद्ध जिलों में उपार्जित धान की मिलिंग कराई जाएगी तथा इस प्रकार कस्टम मिल्ड चावल का प्रदाय म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन /भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा।

5.2 सीएमआर की प्राप्ति म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन,/भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ली जाएगी। इस सीएमआर की गुणवत्ता एवं मात्रा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगी।

5.3 मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार मिलिंग उपरांत प्रदाय किये गये धान के वजन का 67 प्रतिशत अरवा चावल तथा 68 प्रतिशत उसना चावल निर्दिष्ट गोदाम में निर्धारित अवधि में प्रदाय करना होगा।

5.4 धान की कस्टम मिलिंग हेतु मिलर को गोदाम में स्टेक से बिना तौले धान का प्रदाय किया जावेगा तथा विपणन संघ के अभिलेख अनुसार स्टेक की प्रदाय मात्रा के विरूद्ध 67 प्रतिशत की दर से अरवा चावल तथा 68 प्रतिशत की दर से उष्णा चावल (भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप) प्राप्त किया जावेगा।

5.5 मिलर द्वारा चावल लाए जाने पर सेम्पल पर्ची लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का कार्य उपार्जन एजेन्सियों द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से किया जावेगा।

5.6 मिलिंग के बाद प्राप्त होने वाले सह–उत्पाद अर्थात कोढा, कनकी, भूसी आदि मिलर की रहेगी। मिलर सह–उत्पादों का पृथक से हिसाब रखेगा तथा आवश्यक होने पर विपणन संघ तत्संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कर सकेगा तथा अनियमितता पाये जाने पर मिलिंग अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

5.7 सीएमआर प्रदाय करने हेतु आवश्यकताएं :–

- मिल प्वाईन्ट पर धान की मिलिंग कर चावल को 50 किग्रा0 शुद्ध भर्ती कर बोरों में भरा जावेगा।
- मशीन से इस वर्ष हेतु निर्धारित लाल रंग (Red Colour) के धागे से बोरे की दोहरी सिलाई की जावेगी। यह सुनिश्चित किया जाये कि बोरों की दोहरी सिलाई मशीन से की जावे।

25-04-2017

- बोरे की सिलाई करने के पूर्व प्रत्येक बोरे में बाहरी तथा अन्दरी भाग में दर्शित हेतु प्रत्येक तरफ के लिये एक 15 x 10 सेमी0 की रेकजीन या केनवास (प्लास्टिक नहीं) के टुकडे पर जिसमें म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17, कोड नम्बर, मिल का नाम, पता तथा सम्पर्क नम्बर, अरवा या उसना चावल, चावल का ग्रेड, शुद्ध वजन, लॉट संख्या, सी0एम0आर0 चावल आदि लिखा हुआ मशीन सिलाई के साथ लगाना अनिवार्य है।
- मिलर द्वारा धान से खाली बोरो को मूल स्वरूप में सीधा करने के उपरांत वारदानों के बाहरी भाग में निर्धारित स्टेन्सिल स्क्रीन प्रिटिंग से गाढ़े लाल रंग से लगाया जावेगा।
- उपार्जन एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान के साथ जो भरे हुए बोरे प्रदाय किए जाएंगे, वे बोरे उपार्जन एजेन्सी को चावल के साथ देने के पश्चात् शेष रिक्त बोरे मिलर स्वयं अपने पास रखेगा। इस संबंध में शासन के निर्देश मान्य होंगे।
- मिलर चावल को ट्रक में लोड करायेगा, मिल प्वाईन्ट से निर्दिष्ट गोदाम तक स्थितिनुसार अपने वाहन से परिवहन कराकर ले जायेगा, गोदाम पर अनलोड करायेगा, गुणवत्ता परीक्षण हेतु थप्पी लगवायेगा, चावल मानक स्तर का होने पर कारपोरेशन को तौल कराकर स्टेकिंग लगाकर देगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में होने वाले व्यय मिलर स्वयं वहन करेगा।
- सीएमआर प्रदाय करने हेतु निर्दिष्ट गोदाम में स्टेक मिलवार लगाये जावेंगे।
- प्राप्त किये जा रहे सी.एम.आर. की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो, इस हेतु मिलर सहित संबंधित एजेन्सी यथा– म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के एवं शासन के संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. <u>गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था</u>

6.1 म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सीएमआर की गुणवत्ता भारत शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगी।

6.2 गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, द्वारा जारी स्थाई निर्देश क्रमांक 1/1 के अनुरूप होगी। इसके अलावा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शासन/कार्पोरेशन द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा सकेगी जो मिलर को मान्य होगी।

6.3 इन निर्धारित विनिर्दिष्टियों एवं तद्नुसार गुणवत्ता जांच हेतु कार्यवाही करने के लिए म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/ विपणन संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

6.4 मिलिंग उपरांत निर्मित सी0एम0आर0 चावल का परिदान म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन/भारतीय खाद्य निगम को किये जाने तक गुणवत्ता परीक्षण हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी :–

अ. प्रथम निरीक्षण – मिल प्वाईंट पर गुणवत्ता जॉच–कार्पोरेशन/विपणन संघ के गुणवत्ता निरीक्षक/खाद्य विभाग के कनिष्ठ/सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश/प्रकिया का पालन किया जावेगा।

ब. द्वितीय निरीक्षण – भण्ड़ारण केन्द्र पर गुणवत्ता जॉच – म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन/भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा।

25-04-2017

स. तृतीय निरीक्षण – प्राप्त चावल का मिलर को मिलिंग व्यय भुगतान व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय/अन्य जिलों को परिवहन एम0पी0एस0सी0एस0सी0 के जिला प्रबंधक व जिला आपूर्ति अधिकारी/उनके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्ता जांच करने के पश्चात – अंतर जिला परिवहन की स्थिति में उक्त त्रिस्तरीय गुणवत्ता जांच के अलावा प्राप्तिकर्ता जिलें के जिला प्रबंधक द्वारा स्वयं गुणवत्ता जांच की जावेंगी एवं प्रमाणित गुणवत्ता का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु जारी किया जावेंगा।

6.5 गुणवत्ता निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम 25 प्रतिशत मात्रा का मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा, न्यूनतम 10 प्रतिशत मात्रा का क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा तथा मुख्यालय द्वारा न्यूनतम 02 प्रतिशत मात्रा गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा।

6.6 उपरोक्त परीक्षणों में यदि सी0एम0आर0 चावल निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मिलर की होगी। मिलर उक्त निम्न गुणवत्ता का चावल निर्धारित समयावधि में गोदामों से वापस लेकर, उसके स्थान पर मानक गुणवत्ता का चावल उपलब्ध करायेगा तथा इस प्रक्रिया में हुए व्यय को वहन करेगा।

7. अनुबंधित राईस मिलर्स को भुगतान।

7.1 उपार्जन एजेंसियों द्वारा मिलर्स को भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अरवा कस्टम मिलिंग हेतु रू. 25 प्रति क्विं0 प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी।

7.2 उपार्जन एजेंसियों द्वारा मिलर्स को भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा उसना कस्टम मिलिंग हेतु प्रथम तीन माह में मिलिंग कर भारतीय खाद्य निगम में जमा कराने पर रू. 15 प्रति क्विं0 तथा तीन माह उपरांत जमा कराने पर रू. 10 प्रति क्विं0 प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी।

7.3 कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को धान के साथ प्रदाय जूट बारदाने में से मिलर्स के पास शेष बचे बारदाने की कीमत उनको देय राशि में से समायोजित की जावेगी।

7.4 धान एवं चावल परिवहन की दरें राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। उक्त राज्य स्तरीय स्थाई समिति के निर्णय अनुसार चावल मिलर्स को परिवहन का भुगतान किया जावेगा। मिलर्स को मिलिंग दर अरवा चावल हेतु रू0 10 प्रति क्विं0 तथा उसना चावल हेतु रूपये 20 प्रति क्विं0 उसी प्रकार देय होंगे, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

7.5 धान की मिलिंग में निर्धारित गुणवत्ता न होने पर अथवा विलंब होने पर निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

- सीएमआर के गुणवत्ता परीक्षण में यदि यह पाया जाता है कि मिलर द्वारा धान की मिलिंग कराने के उपरांत चावल निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप सीएमआर चावल नही दिया है/दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अनुबंधित राईस मिलर्स को उस खरीफ सीजन हेतु आगामी 10 दिवस तक मिलिंग कार्य नही दिया जायेगा।
- लॉट रिजेक्ट किये जाने पर रिजेक्शन मेमो/सूचना प्राप्ति उपरान्त मिलर को तीन दिवस के अंदर स्वयं के हर्जे खर्चे पर लॉट को संग्रहण केन्द्र से उठाना होगा।
- उपरोक्त के विफल रहने पर रू0 01.00 प्रति क्विंटल प्रतिदिन के मान से रिजेक्ट मात्रा पर पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी तथा भंडारण व्यय एवं ब्याज वसूल किया जावेगा।
- रिजेक्ट लॉट एक सप्ताह में न उठाने पर राज्य एजेन्सियां मिलर के हर्जे खर्चे पर स्कंध विकय कर देंगे।

25-04-2017

- लॉट सब–स्टेण्डर्ड पाने पर संबंधित मिलर से बदलवाने अथवा अपग्रेडेशन कराने का समस्त व्यय राईस मिलर द्वारा किया जावेगा।

जिला कलेक्टर के समक्ष साप्ताहिक बैठक कर राईस मिलर्स से कम्पलसरी मिलिंग कराने हेतु म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2002 के परिपालन में धान मिलिंग कराने हेतु प्रयास किये जावे।

25-01-2017

(योगेश जोशी)

महाप्रबंधक (उपार्जन एवं मिलिंग)

पृ0क्रमांक/उपा0एवंमि0/क0मि0निर्देश/2016–17/ 8452 भोपाल, दिनांक 25.01.2017

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
5. महाप्रबंधक (मध्य क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।
6. कलेक्टर जिला ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, श्योपुरकला, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, जबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला।
7. मुख्यलेखाधिकारी सहवित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 भोपाल।
8. महाप्रबंधक (भंडारण) म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 भोपाल।
9. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 भोपाल।
10. मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर।

महाप्रबंधक (उपार्जन एवं मिलिंग)

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5--61/2012/29--1 भोपाल, दिनांक: 23 जनवरी, 2017

प्रति,

1. आयुक्त,
   खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
   मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन,
   भोपाल
3. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ,
   भोपाल
4. महाप्रबंधक (क्षेत्र)
   भारतीय खाद्य निगम,
   भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय : खरीफ विपणन वर्ष 2016--17 में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग।

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2016--17 में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:--

01. खरीफ विपणन वर्ष 2016--17 के दौरान उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग राज्य एजेंसियों द्वारा मिलर्स से कस्टम मिलिंग अनुबंध कर भण्डारण स्थल से न्यूनतम दूरी पर स्थित मिलों को प्राथमिकता देते हुये "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत के आधार पर कराई जाये।
02. कस्टम मिलिंग अंतर्गत अरवा चावल के साथ-साथ उसना चावल के रूप में भी की जाकर परिदान की जा सकेगी। अरवा चावल के लिये उपार्जन एजेंसी द्वारा मिलर्स को भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त रूपये 25 प्रति क्विंटल तथा उसना चावल के लिये प्रथम 3 माह में मिलिंग की भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पर रूपये 15 प्रति क्विंटल तथा 3 माह उपरांत जमा करने पर रूपये 10 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
03. कस्टम मिलिंग किये गये उसना चावल का परिदान अनिवार्यतः भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।
04. राज्य में खाद्यान्न आधारित योजनाओं के लिए चावल की वार्षिक आवश्यकता से अतिशेष मात्रा ही भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में परिदान की जाएगी। प्रदेश की चावल आवश्यकता हेतु धान की मिलिंग यथासंभव प्रदेश की राईस मिलों से ही कराई जाएगी।
05. मिलर्स को परिवहन दर आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी द्वारा निर्धारित अनुसार प्रदान की

06. राज्य सरकार द्वारा उपार्जन एजेंसियों को मिलिंग पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

07. मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि मांग संख्या 39, योजना कमांक 3229 मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति एवं योजना कमांक 3248 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति अंतर्गत विकलनीय होगी।

08. कस्टम मिलिंग का कार्य दिनांक 31.07.2017 तक पूर्ण किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/01/2017

(बी.के. चन्देल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–61/2012/29–1 भोपाल, दिनांकः 23 जनवरी, 2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु /पालनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, 16/20 बाराखंभा लेन, नई दिल्ली।
3. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, माननीय खाद्य मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
5. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टाफ आफिसर, म0प्र0 शासन भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन, भोपाल।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. संरक्षक, मध्यप्रदेश चावल उद्योग महासंघ, कटनी, मध्यप्रदेश।
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश चावल उद्योग महासंघ, सतना, मध्यप्रदेश।

23/01/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध (प्रारूप)

आज दिनांक.....को यह अनुबंध पत्र, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की ओर से श्री ..... जिला विपणन अधिकारी ..... जिसे आगे **"विपणन संघ"** कहा गया है तथा मेसर्स ..... पता..... ..... की ओर से श्री .....मालिक/प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि जिसे आगे **"मिलर"** कहा गया है, के मध्य धान मिलिंग कार्य के लिए निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :–

1. यह कि राज्य शासन की उपार्जन नीति अंतर्गत विपणन संघ राजस्व जिला..... ....में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के दौरान समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान की अरवा मिलिंग कराकर चावल में रूपांतरित कराना चाहता है। इसके लिए मिलर मेसर्स..... ने स्थान ..... तहसील ..... में स्थित अपने स्वामित्व की राईस मिल में खरीफ वर्ष 2016–17 में उपार्जित एवं मिलिंग हेतु दी जाने वाली धान की अरवा मिलिंग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों तथा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के लिये जारी सी0एम0आर0 आदेश (जो कि इस अनुबंध का भाग माना जायेगा) की शर्तो के अनुसार मिलिंग कर निर्मित चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि./भारतीय खाद्य निगम को करने के लिए सहमति प्रदान की है।
2. विपणन संघ द्वारा मिलर को भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अरवा कस्टम मिलिंग हेतु राशि रू. 25 प्रति क्विं0 तथा उष्णा कस्टम मिलिंग हेतु प्रथम 3 माह में मिलिंग कर भारतीय खाद्य निगम में जमा करने पर राशि रू0 15 प्रति क्विं0 तथा 3 माह उपरांत जमा करने पर राशि रू0 10 प्रति क्विं0 प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जावेगी।
3. विपणन संघ द्वारा मिलर को भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य प्रचलित करों, कटौतियों आदि की वसूली उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
4. विपणन संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई धान के हिसाब से सही गुणवत्ता एवं मात्रा का चावल प्राप्त हो सके, इस हेतु मिलर, कार्पोरेशन की धान मिलिंग की कम्प्यूटराईज प्रक्रिया से सहमत है।
5. खरीफ उपार्जन वर्ष 2016–17 में उपार्जित धान की मिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व मिलर्स को सर्वप्रथम अपना पंजीयन CSMS साफ्टवेयर में करना होगा। पंजीयन उपरान्त मिलर्स के साथ मिलिंग का अनुबंध "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत पर किया जावेगा।
6. "प्रथम आओ प्रथम पाओ" का आशय यह है कि जो मिलर्स पहले पंजीयन करेगा, उसके साथ उसकी मिलिंग क्षमता के अनुसार अनुबंध सर्वप्रथम किया जावेगा। इस संबंध में मिलर्स द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मिलिंग के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये विपणन संघ द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा, जो मिलर को मान्य होगा।

25-01-2017

परन्तु, यह सिद्धांत विगत खरीफ विपणन वर्ष में मिलर्स द्वारा किये गये मिलिंग कार्य के आंकलन अनुसार निम्न वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए लागू किया जावेगा –

(1) प्रथम वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनका ट्रेक रिकार्ड पूर्णतः स्वच्छ हो।

(2) द्वितीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा विगत वर्ष यथा समय धान नही उठाया गया अथवा नियत समय पर सी.एम.आर. प्रदाय नही किया गया।

(3) तृतीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी.एम.आर. उचित गुणवत्ता का नही पाया गया व यथास्थिति प्रदायित सी.एम.आर. बदला गया।

(4) चतुर्थ वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी.एम.आर. उचित गुणवत्ता का नही पाया गया व सूचना के उपरांत भी सी.एम.आर. नही बदला गया।

उपरोक्त सिद्धान्त मिलर को मान्य है।

7. राईस मिलर्स को मिलिंग हेतु अनुबंध की अवधि 45 कार्य दिवस रहेगी। मिलर दिनांक ..... से दिनांक ..... तक की अनुबंधित अवधि में उपरोक्तानुसार .....मे0टन कामन धान तथा ..... मे0टन ग्रेड–ए धान अर्थात् कुल .....मे0टन की मिलिंग कर अरवा चावल में रूपान्तरण करने के लिये प्रतिबद्ध है यह मात्रा मिलर की मिलिंग क्षमता देखकर निर्धारित की गई है।

8. मिलर द्वारा अनुबंध के साथ अमानत राशि रू0 50,000 (रू. पचास हजार मात्र) जमा कराई जायेगी। जो मिलर को निष्पादित अनुबंध के तहत् समस्त कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने, हिसाब प्रस्तुत करने, लेखो के मिलान के उपरान्त एवं कार्पोरेशन को कोई वसूली बाकी नहीं रहने पर वापस की जावेगी।

9. अमानत राशि पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

10. मिलर को अनुबंधित मात्रा की मिलिंग, खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित चावल गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार मिलिंग कर सी.एम.आर. चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के द्वारा निर्दिष्ट गोदाम में निर्धारित अवधि में देने के लिए मिलर सहमत है।

11. अनुबंध अवधि के प्रत्येक एक तिहाई भाग में समानुपातिक रूप से अनुबंधित मात्रा के एक तिहाई भाग की धान की मिलिंग कर मिलर को चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को करना होगा। समानुपातिक रूप से धान की मिलिंग कर चावल कार्पोरेशन को नही देने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

12. मिलर को अनुबंध में दी गई समय–सीमा में यथा क्षमता अनुसार अनुपातिक धान की शीघ्र मिलिंग कर, निर्मित सी0एम0आर0 चावल कार्पोरेशन के पक्ष में म.प्र. सिविल सप्लाईज कारपोरेशन/भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदाम में जमा कराना होगा।

13. इस हेतु सतत पर्यवेक्षण संबंधित जिला विपणन अधिकारी/मंडल प्रबंधक एवं मिलर स्वयं रखेगें।

14. यदि समय सीमा में मिलर धान की मिलिंग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में विपणन संघ के हितों को दृष्टिगत रखकर औचित्य प्रमाणित होने पर मिलिंग की अवधि में योग्य वृद्धि विपणन संघ के प्रबंध संचालक द्वारा की जा सकेगी। इस हेतु विपणन संघ के जिला प्रबंधक की अनुशंसा आवश्यक होगी।

15. मिलर मिलिंग अवधि बढाने की मांग अधिकार स्वरूप नहीं कर सकेगा।

16. इसी अनुबंध की कंडिका 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अनुबंध अवधि के प्रत्येक एक तिहाई भाग में समानुपातिक रूप में अनुबंधित मात्रा के एक तिहाई भाग की धान मिलिंग न हो पाने पर

25-04-2017

डिफाल्टेड धान मात्रा पर प्रति क्विटल प्रतिदिन रू. 1.00 पेनाल्टी मिलर द्वारा विपणन संघ को देय होगी।

17. मिलर द्वारा अनुबंध करने के पश्चात एक या दो लॉट धान उठाव के बाद शेष अनुबंधित धान मात्रा का उठाव/मिलिंग नहीं की जाती है तो अनुबंध अनुसार मिलिंग हेतु शेष बची धान की मात्रा पर ब्याज, भंडारण व्यय एवं देय पेनाल्टी समायोजन के बाद शेष उपलब्ध अमानत राशि अनुबंध अवधि समाप्ति पर राजसात की जा सकेगी। यदि फिर भी राशि शेष रहती है तो यह राशि मिलर द्वारा विपणन संघ में जमा कराई जाएगी।

18. मिलर द्वारा ऐसा नहीं करने पर वसूली हेतु समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

19. मिलर द्वारा विपणन संघ से किये गये कुल अनुबंधों में एक ही सीजन में दो बार अनुबंध अनुसार कार्य नहीं करने की स्थिति निर्मित होने पर उक्त राईस मिलर को उस खरीफ सीजन हेतु ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

20. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत चावल की खपत को दृष्टिगत रखकर सी0एम0आर0 चावल स्थितिनुसार केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को राईस मिलर को अनुबंध की 10 प्रतिशत मात्रा की सीमा तक सीधे परिदान करने हेतु निर्देशित करने पर सी0एम0आर0 चावल की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था, भारतीय खाद्य निगम के निर्देशानुसार रहेगी व निर्धारित प्रक्रिया–निर्देश पालन योग्य रहेंगे। अनुबंधित मिलर कंडिका 2 अनुसार मिलिंग हेतु अनुबंधित धान की मात्रा की मिलिंग के उपरांत ....लॉट कॉमन चावल तथा.......... लॉट ग्रेड–A चावल भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदाम.......... में जमा करावेगा।

21. मिलिंग कार्य हेतु निर्धारित मिलिंग दरों में स्कंध का लोडिंग–अनलोडिंग व्यय एवं स्टेकिंग का व्यय भी सम्मिलित है, उक्त व्यय मिलर द्वारा वहन किया जाएगा।

22. विपणन संघ द्वारा मिलर को निर्धारित मिलिंग दर पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

23. मिलर द्वारा मिलिंग उपरान्त निर्मित सी0एम0आर0 चावल को सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के चावल संग्रहण डिपो में परिदान दिये जाने पर मिलर द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल के परिवहन कार्य के देयक (समस्त आवश्यक दस्तावेजों जिनमें मार्ग में पड़ने वाले टोल नाकों पर भुगतान की मूल रसीद भी होगी सहित) प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन द्वारा धान/सी0एम0आर0 परिवहन कार्य का भुगतान राज्य स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित परिवहन दरों के लिए निर्देश अनुसार किया जावेगा।

24. विपणन संघ द्वारा मिलर को धान मिलिंग/परिवहन कार्य अथवा चावल परिवहन या अन्य कोई भी कार्य के लिये अग्रिम स्वरूप में कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

25. विपणन संघ द्वारा मिलर को धान का प्रदाय कैप में भंडारित धान में से प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा केप की धान समाप्त होने पर ही भंडारगृह की धान देना प्रारम्भ की जाएगी।

26. धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तान्तरित किया जाएगा। जिसमें 120 मे0टन अर्थात् 3000 बोरों के धान का हस्तांरण होता है। किसी भी स्थिति में मिलर को स्टेक तोडकर अथवा बोरों की छांट कर धान की डिलीवरी नहीं दी जायेगी।

27. धान का प्रदाय एक तरफ से/एक ही स्टेक से मिलर को किया जाएगा तथा उन्हें छांटकर धान नही दिया जायेगा।

28. मिलर के द्वारा स्कंध की डिलेवरी प्राप्त करने के उपरान्त स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता संबंधी कोई विवाद मान्य नहीं किया जाएगा।

29. धान की कस्टम मिलिंग हेतु मिलर को प्रदायित धान की मात्रा के विरूद्ध 67 प्रतिशत के मान से अरवा चावल तथा 68 प्रतिशत के मान से उष्णा चावल (भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप) प्राप्त किया जावेगा।

25-01-2017

30. मिलिंग के बाद प्राप्त होने वाले सह–उत्पाद अर्थात कोढा, कनकी, भूसी आदि मिलर की रहेगी। मिलर सह–उत्पादों का पृथक से हिसाब रखेगा तथा आवश्यक होने पर विपणन संघ तत्संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कर सकेगा तथा अनियमितता पाये जाने पर मिलिंग अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

31. अरवा चावल औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) धान से तैयार सी0एम0आर0 मिलर द्वारा विपणन संघ को अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 11.4 अनुसार अनिवार्य रूप से देना होगा।

32. मिलिंग उपरान्त बचे हुये सह–उत्पाद अर्थात् कोढा, मोटा कोढा, कनकी, भूसी आदि मिलर की होगी और उसके लिये विपणन संघ किसी प्रकार की कीमत नहीं लेगा।

33. मिलर द्वारा अपने स्वयं के खर्च से सी0एम0आर0 चावल के भरे बोरे की सिलाई करने के पूर्व प्रत्येक बोरे में बाहरी तथा अन्दरी भाग में दर्शित हेतु प्रत्येक तरफ के लिये एक 15x10 सेमी0 की रेकजीन या केनवास (प्लास्टिक नहीं) के टुकडे पर जिसमें म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17, कोड नम्बर, मिल का नाम, पता तथा सम्पर्क नम्बर, अरवा या उष्मा चावल, चावल का ग्रेड, शुद्ध वजन, लॉट संख्या, सी0एम0आर0 चावल आदि लिखा हुआ मशीन सिलाई के साथ लगाना अनिवार्य है, जिसका सामान्य प्रारूप निम्न है :–

15x10 से0मी0 की केवल रैगजीन या केनवास {प्लास्टिक नहीं} के टुकडे पर बोरे के बाहरी भाग में दर्शित होने वाला	15x10 से0मी0 की केवल रैगजीन या केनवास {प्लास्टिक नहीं} के टुकडे पर बोरे के अंदर भाग में दर्शित होने वाला
1. म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 2. कोड नम्बर – 3. राईस मिल का नाम, पता तथा संपर्क नम्बर 4. चावल का किस्म – अरवा/उसना 5. चावल की ग्रेड–एफएक्यू (कॉमन/ग्रेड 'ए') 6. शुद्ध वजन – 7. लॉट संख्या – 8. सी0एम0आर0 चावल	1. म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मद में खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 2. कोड नम्बर – 3. राईस मिल का नाम, पता तथा संपर्क नम्बर 4. चावल का किस्म – अरवा/उसना 5. चावल की ग्रेड–एफएक्यू (कॉमन/ग्रेड 'ए') 6. शुद्ध वजन – 7. लॉट संख्या – 8. सी0एम0आर0 चावल

34. मिलर द्वारा धान से खाली बोरों को मूल स्वरूप में सीधा करने के उपरान्त बारदानों के बाहरी भाग में निम्नवत् स्टेन्सिल स्क्रीन प्रिन्टिग से गाढ़े लाल रंग (Red Colour) से लगाया जाना अनिवार्य है। जिसका प्रारूप निम्नानुसार है –

1. राईस मिलर का नाम एवं स्थान	–	
2. चावल की किस्म/ग्रेड	–	अरवा एफ0ए0क्यू0 कामन/ अरवा एफ0ए0क्यू0 ग्रेड ए
3. शुद्ध वजन	–	50 किलोग्राम
4. फसल का वर्ष	–	खरीफ विपणन वर्ष 2016–17
5. लॉट संख्या/ मिलर का संपक्र दूरभाष क्रमांक	–	

25-01-2017

35 मिलर धान को चावल में परिवर्तित करने के बाद चावल की डिलेवरी भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार कारपोरेशन के निर्दिष्ट डिपो/गोदामों पर देकर एक्सेप्टेन्स नोट प्राप्त करेगा।

35. मिलर अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध वास्तविक रूप से परिदान में प्राप्त की गई धान की निर्धारित प्रतिशत की मात्रा से अधिक चावल का परिदान म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड/भारतीय खाद्य निगम को करता है तो उसका कोई उत्तरदायित्व विपणन संघ का नहीं होगा।

36. इस कार्यवाही के दौरान मिलर मिल प्वाईन्ट पर धान की मिलिंग कर चावल को 50 किग्रा0 शुद्ध भर्ती के बोरों में भरेगा, मशीन से इस वर्ष हेतु निर्धारित गाढ़े लाल रंग (Red Colour) के धागे से बोरे की दोहरी सिलाई करेगा, चावल को ट्रक में लोड करायेगा, मिल प्वाईन्ट से कार्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट गोदाम/प्रदायकेन्द्र तक स्थितिनुसार अपने वाहन से परिवहन कराकर ले जायेगा, तथा 10 की उचाई तक थप्पी इस प्रकार लगायेगा कि प्रत्येक बोरे से परखी लगाकर सेम्पल लिया जा सके। गोदाम पर पदस्थ कार्पोरेशन के/भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता परीक्षक द्वारा सी.एम.आर. की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड की पांये जाने पर, मिलर उक्त चावल की तौल कराकर गोदाम में स्टेकिंग कराकर देगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में होने वाले व्यय मिलर स्वयं वहन करेगा। प्लेटफार्म पर डम्प सी.एम.आर. की गुणवत्ता परीक्षण तथा उसके बाद गोदाम में स्टेकिंग तक के कार्य के दौरान सी.एम.आर. के रखरखाव एवं सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी मिलर की होगी तथा वह इसके लिए आवश्यक उपाय करेगा।

37. उपरोक्त कंडिका 14.2 अनुसार गोदाम पर मिलर द्वारा लगाई गई सी.एम.आर. की थप्पी के गुणवत्ता परीक्षण में निर्धारित मापदण्ड का नही पाये जाने पर, मिलर तत्काल उक्त सी.एम.आर. को वापस लेकर जायेगा। मिलर द्वारा उक्त अमान्य सी.एम.आर. को तत्काल न उठाये जाने पर प्राकृतिक/अप्राकृतिक कारणों से सी.एम.आर. की गुणवत्ता, वजन आदि अन्य हानियों के लिए मिलर स्वयं जिम्मेदार होगा।

38. मिलर को, जिस धान को मिलिंग हेतु प्रदाय किया जाता है उसी धान की मिलिंग करके निर्धारित मात्रा व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार चावल विपणन संघ के पक्ष में म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्दिष्ट गोदाम/डिपों जिला ..... के प्रदाय केन्द्र ..... में जमा कराना होगा। यदि मिलर द्वारा प्राप्त की गई धान से निर्मित निर्धारित मात्रा से अधिक अथवा अन्य धान से निर्मित अथवा निम्न मापदण्ड का चावल कारपोरेशन के गोदाम में जमा कराया जाता है तो इस स्थिति में विपणन संघ द्वारा मिलर को कोई राशि देय नहीं होगी तथा इससे विपणन संघ को कोई हानि होती है तो उसकी वसूली मिलर से की जा सकेगी।

39. मिलिंग उपरांत निर्मित सी0एम0आर0 चावल का परिदान म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन/भारतीय खाद्य निगम को किये जाने तक गुणवत्ता परीक्षण हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी :–

अ. प्रथम निरीक्षण – मिल प्वाईंट पर गुणवत्ता जॉच– विपणन संघ/कार्पोरेशन के गुणवत्ता निरीक्षक/खाद्य विभाग के कनिष्ठ/सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश/प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।

ब. द्वितीय निरीक्षण– भण्ड़ारण केन्द्र पर गुणवत्ता जॉच– म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन/भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा।

स. तृतीय निरीक्षण – प्राप्त चावल का मिलर को मिलिंग व्यय भुगतान व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय/अन्य जिलों को परिवहन एम0पी0एस0सी0एस0सी0 के जिला प्रबंधक व जिला आपूर्ति अधिकारी/उनके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्ता जांच करने के पश्चात – अंतर जिला परिवहन की स्थिति में उक्त त्रिस्तरीय गुणवत्ता जांच के अलावा प्राप्तिकर्ता जिलें के जिला

25-04-2017

प्रबंधक द्वारा स्वयं गुणवत्ता जांच की जावेंगी एवं प्रमाणित गुणवत्ता का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु जारी किया जावेंगा।

40. मिलर्स से प्राप्त सी.एम.आर. चावल का गोदाम में भण्डारण मिलरवार स्टेक लगाकर किया जावेगा। गुणवत्ता निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत उक्त भण्डारित सी.एम.आर. की 25 प्रतिशत मात्रा का म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा, 10 प्रतिशत मात्रा का क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा एवं 02 प्रतिशत मात्रा का मुख्यालय स्तरीय दलों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा।

41. उपरोक्त गुणवत्ता परीक्षणों में यदि सी0एम0आर0 चावल निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मिलर की होगी तथा संबंधित संग्रहण केन्द्र/प्राप्तकर्ता जिले के प्रदाय केन्द्र से निम्न गुणवत्ता का चावल मिलर द्वारा रिजेक्शन मेमो प्राप्ति/सूचना मिलने के 05 दिवस के अंदर उसके स्वयं के व्यय पर उठाया जावेगा तथा उक्त प्राप्त किये गये बी.आर.एल. चावल के स्थान पर 05 दिवस में सुधार कर, उसके स्थान पर मानक गुणवत्ता का चावल जमा करायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में हुए व्यय, भण्डारण शुल्क व ब्याज का वहन मिलर द्वारा किया जावेगा।

42. मिलर द्वारा खरीफ सीजन 2016–17 में एक अनुबंध में 03 लॉट सी0एम0आर0 चावल के रिजेक्ट हो जाने/सी0एम0आर0 चावल के अपग्रेड करने की स्थिति में, मिलर को नोटिस दिया जाकर चालू खरीफ सीजन के लिए ब्लेक लिस्ट घोषित कर अनुबंध निरस्त किया जायेगा।

43. मिलर द्वारा पूरे खरीफ सीजन में मिलिंग हेतु किये गये कुल अनुबंधों के विरूद्ध मिलिंग उपरांत प्रदायित कुल सी.एम.आर. की मात्रा का 10 प्रतिशत अथवा अधिक सी0एम0आर0 चावल के रिजेक्ट हो जाने/सी0एम0आर0 चावल के अपग्रेड करने की स्थिति में मिलर को नोटिस दिया जाकर चालू खरीफ सीजन के साथ ही आगामी एक मिलिंग वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट घोषित कर अनुबंध निरस्त किया जायेगा।

44. किसी मिलर का सी0एम0आर0 चावल का लॉट रिजेक्ट किये जाने पर उसे रिजेक्शन मेमो प्राप्ति उपरान्त पांच दिवस के अंदर ऐसे लॉट को स्वयं के हर्जे खर्चे पर संग्रहण केन्द्र से उठाना होगा। इसमें विफल रहने की स्थिति में एक ओर संबंधित मिलर का आगामी लॉट स्वीकार योग्य नहीं होगा वहीं दूसरी ओर रू0 01.00 प्रति क्विंटल प्रतिदिन के मान से रिजेक्ट मात्रा पर पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी तथा भंडारण व्यय एवं ब्याज वसूल किया जावेगा। भण्डारण व्यय, ब्याज एवं पेनाल्टी की वसूली सीएमआर डिपाजिट दिनांक से गणना की जावेगी।

45. रिजेक्ट लॉट/स्टेक मिलर द्वारा एक सप्ताह में नहीं उठाया जाता है तो कारपोरेशन द्वारा राईस मिलर के हर्जे खर्चे पर स्कंध विक्रय कर, विक्रय राशि में से आवश्यक कटौत्रों के उपरांत शेष राशि एकाउण्टपेयी चैक के माध्यम से राइस मिलर को भुगतान कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राइस मिलर की होगी।

46. मिलर द्वारा कारपोरेशन को सी0एम0आर0 चावल जमा कराने के उपरान्त लॉट सब–स्टेण्डर्ड (निम्न गुणवत्ता) का पाया जावेगा, तो उसे संबंधित मिलर से बदलवाने अथवा अपग्रेडेशन कराने पर इसका समस्त व्यय राईस मिलर द्वारा ही वहन किया जावेगा।

47. मिलर अधिकतम 540 बोरे (270 क्विंटल) के एक लॉट में चावल का परिदान निर्देशित संस्था म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के निर्दिष्ट गोदाम में देकर सक्षम अधिकारी से एक्सेप्टेन्स नोट प्राप्त करेगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में होने वाले व्यय मिलर द्वारा वहन किये जावेंगें।

48. यदि कारपोरेशन/निगम के निर्धारित गोदाम में स्थानाभाव है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में दिया जाता है तो मिलर कारपोरेशन के निर्दिष्ट अन्य स्थान पर चावल का परिदान करेगा।

49. विपणन संघ के गोदामों से मिल तक धान के परिवहन तथा मिलिंग उपरांत सी.एम.आर. चावल के मिल से कार्पोरेशन/भा.खा.नि. के निर्दिष्ट गोदाम तक परिवहन में लगाये गये ट्रकों में कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन का जी.पी.एस. मिलर द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर लगाया जायेगा।

25-04-2017

परिवहन के उपयोग में लाये जा रहे वाहनों का विवरण यथा ट्रक नं. आदि एवं जी.पी.एस. का विवरण मिलर द्वारा विपणन संघ/कार्पोरेशन को उपलब्ध करवाया जायेगा।

50. इस प्रकार दिये हुये आदेश के अंतर्गत मिलर द्वारा अतिरिक्त रूप से परिवहन व्यय पर किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु विपणन संघ को समस्त आवश्यक दस्तावेजों व मार्ग के समस्त टोल नाकों एवं बैरियर पर किये गये भुगतान की रसीदें एवं अन्य प्रमाण सहित (विपणन संघ के सक्षम अधिकारी का लिखित प्रमाण पत्र व परिवहन कार्य संबंधी आवश्यक दस्तावेज) देयक प्रस्तुत करेगा।

51. तदुपरान्त राज्य स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के लिये, परिवहन दरों के भुगतान बावत् जारी निर्देशों के अनुसार, मिलर को धान परिवहन व्यय का भुगतान विपणन संघ द्वारा किया जायेगा। विपणन संघ द्वारा अपने अनुबंधित मिलर्स से सी0एम0आर0 परिवहन के देयक प्राप्त कर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संबंधित जिला कार्यालयो को प्रस्तुत किये जावेगें। कार्पोरेशन के जिला कार्यालयों द्वारा प्राप्त परिवहन देयको के विरूद्ध नियमानुसार संलग्नको आदि के आधार पर भुगतान योग्य सी0एम0आर0 परिवहन की राशि से विपणन संघ को लिखित मे अवगत कराया जायेगा, जो कि वास्तविक व्यय अथवा केंद्र शासन से प्रावधानिक आर्थिक लागत मे वितरण स्तर पर निर्धारित हैण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टेशन मद की अधिकतम राशि मे से जो कम हो, निश्चित होगी। इस राशि का प्रथमतः मिलर्स को भुगतान विपणन संघ द्वारा किया जायेगा और देयको के साथ भुगतान प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन के जिला प्रबंधको द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति विपणन संघ को जिला स्तर से की जायेगी।

52. मिलर मिलिंग हेतु प्राप्त की गई धान को चावल में परिवर्तित कर जब तक कारपोरेशन के निर्दिष्ट स्थान पर विपणन संघ के प्रतिनिधि के रूप में डिलेवरी नहीं देता है तब तक धान और चावल की सुरक्षा के लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहेगा। यदि इस अवधि में विपणन संघ को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी वसूली मिलर द्वारा जमा की गई सिक्यूरिटी राशि (अमानत राशि और बैंक गारंटी) से अथवा मिलर को देय अन्य राशियों या अन्य तरह से वसूल करने के लिये विपणन संघ पूर्णतः अधिकृत है। ऐसी किसी भी स्थिति पाये जाने पर विपणन संघ की सूचना पर मिलर द्वारा तीन दिवस में राशि जमा कराना होगा।

53. मिलर के पास उपलब्ध धान/चावल सभी संदर्भो में विपणन संघ के स्वामित्व का रहेगा, मिलर स्कंध का कस्टोडियन रहेगा।

54. मिलर उक्त स्कंध को अनुबंध अनुसार केवल मिलिंग हेतु प्रयोग करेगा और किसी अन्य के स्वामित्व में स्थानांतरित नहीं कर सकेगा, विक्रय नहीं कर सकेगा तथा किसी वित्तीय संस्थान या अन्य को रहन/गिरवी नहीं रख सकेगा।

55. कंडिका 11.4 में उल्लेख अनुसार झड़ती दर से कम मात्रा में चावल यदि मिलर देता है तो ऐसी स्थिति में जितना चावल कम प्राप्त होगा, उसकी कीमत विपणन संघ द्वारा तत्समय प्रचलित चावल की कस्टम मिल्ड राईस रेट्स के सवा गुना के बराबर मिलर से प्राप्त की जाएगी जो कि चावल देय तिथि से 10 दिन के अन्दर देय होगा।

56. यदि उक्त राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो मिलर से 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (बैंक विधिनुसार मासिक आधार पर देय) वसूल किया जाएगा।

57. भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार चावल तैयार करने के लिये मिलर वचनबद्ध है।

58. गुणवत्ता परीक्षण के दौरान मिलर अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। परीक्षण करने पर यदि निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार चावल तैयार नहीं होता है एवं कारपोरेशन के अधिकृतकर्मी के परीक्षण में बी0आर0एल0 (बियान्ड दी रिजेक्शन लिमिट) हो जाता है तो उस लॉट को मिलर स्वयं अपने खर्चे पर तत्काल उठायेगा अन्यथा उसमें हुई किसी भी क्षति की जवाबदारी मिलर की होगी। मिलर उक्त

24/10/2017
25/10/2017

वापस प्राप्त किये गये बी.आर.एल. चावल के स्थान पर पांच दिवस में सुधार कर मानक गुणवत्ता का चावल जमा करायेगा या रिजेक्ट करने पर लॉट स्वयं के खर्च पर तत्काल उठायेगा।

59. मिलर को एक अनुबंध के अधीन एक बार में अधिकतम 10 लॉट धान प्रदाय की जा सकेगी। धान प्राप्त करने के लिये मिलर द्वारा प्रत्येक लाट के लिए रू0 7.50 लाख (रू. सात लाख पचास हजार मात्र) की राशि बैंक इन्स्ट्रूमेण्ट के माध्यम से देय होगी। मिलर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धान की सिक्यूरिटी राशि में से कम से कम आधे लॉट्स की राशि (रू. 7.50 लाख प्रति लॉट के मान से) एफडीआर/बैंक गारण्टी/डीडी के माध्यम से जमा की जायेगी, शेष लॉट्स की राशि क्रॉस चेक के माध्यम से जमा की जावेगी।

60. मिलर को धान प्राप्त करते समय मात्रा के अनुपात में बैंक गारंटी/एफ0डी0आर0/डी0डी0 सिक्यूरिटी राशि जो कि कम से कम 10 माह की अवधि के लिए प्रभावशील हो, के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

61. धान की कीमत प्रति क्विं0 परिवर्तनीय है तथा बाजार दर बढने पर धान की कीमत के मूल्याकंन में बढोत्तरी की जायेगी, जो कि मिलर पर बंधनकारी रहेगी।

62. विपणन संघ द्वारा उक्त दरों से धान की कीमत का आकलन करते हुये मिलर द्वारा जमा कराई गई उक्त बैंक गारंटी/राशि के अनुरूप मिलर को धान की डिलेवरी मिलिंग हेतु दी जाएगी।

63. यदि बैंक गारंटी की वैद्यता अवधि में मिलर द्वारा धान की संपूर्ण मिलिंग एवं चावल का परिदान कर विपणन संघ से अंतिम हिसाब नहीं किया जाता है तो मिलर से अंतिम हिसाब होने की अवधि तक के लिए मिलर द्वारा बैंक गारंटी की अवधि में वृद्धि कराया जाना बंधनकारी होगा।

64. मिलर द्वारा परिवहन कार्य किये जाने के कारण धान एवं सी0एम0आर0 चावल का परिवहन कार्य के दौरान स्कंध कमी होने पर कमी के लिए मिलर जिम्मेदार रहेगा तथा कमी की राशि मिलर के देयकों से काटी जावेंगी।

65. विपणन संघ द्वारा नये बोरों को पलटवाकर धान भरकर मिलर को प्रदाय की जावेगी, मिलर द्वारा इन्हीं बोरों को धान से खाली कर खाली बोरों को मूलस्वरूप में सीधाकर सीधे बारदानें पर चावल की भरती के लिए इस वर्ष निर्धारित गाढे लाल रंग (Red Colour) से स्क्रीन प्रिन्टिग कराकर स्टेन्सिल व प्रत्येक बोरे में बाहरी तथा अन्दरी भाग में दर्शित हेतु निर्धारित रेकजीन या केनवास (प्लास्टिक नहीं) का टुकड़ा लगाकर चावल की भरती कर भरे हुये बोरों की मशीन से गाढ़े लाल रंग (Red Colour) के धागे से डबल सिलाई करेगा।

66. मिलर द्वारा चावल में उपयोग किये गये बारदानों की गणना कारपोरेशन को दिये गये चावल की मात्रा में उपयोग किये गये बोरों के मान से की जावेगी। विपणन संघ द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान के साथ जो भरे हुये बोरे प्रदाय किये जाएंगे, वे बोरे कारपोरेशन को चावल के साथ देने के पश्चात् रिक्त बोरे मिलर स्वयं अपने पास रखेगा और इसके विरूद्ध विपणन संघ को निर्धारित अवक्षयण राशि के कटौत्रा उपरान्त शेष राशि प्रति नग के मान से भुगतान करेगा अथवा यह राशि उसको देय राशि में से कटौत्रा की जा सकेगी। खाली बारदाना मिलर द्वारा रखे जावेंगे, विपणन संघ उन्हें वापस नहीं लेगा। शासन/ विपणन संघ द्वारा इस व्यवस्था में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

67. खाली बारदानों के मूल्य का निर्धारण विपणन संघ/कार्पोरेशन द्वारा जो किया जावेगा वह मिलर को मान्य व बंधककारी रहेगा।

68. मिलर किसी भी दशा में अपने स्वयं के बोरों में चावल की भरती नहीं करेगा।

69. विपणन संघ अनुबंधित धान की मात्रा मिलर को मिलिंग हेतु उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं है। धान की अनुबंधित मात्रा कम या अधिक हो सकती है। धान की मात्रा कम होने पर मिलर का विपणन संघ पर कोई क्लेम नहीं रहेगा।

25-01-2017

70. मिलर, विपणन संघ से प्राप्त की गई धान की मिलिंग उपरान्त तैयार किये गये सी0एम0आर0 चावल की डिलेवरी म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को देकर एक्सेप्टेन्स नोट, तौल पत्रक, एनालिसिस रिपोर्ट एवं गोदाम रसीद आदि प्राप्त कर इन दस्तावेजों के साथ 15 दिवस में धान के मिलिंग चार्जेज के पाक्षिक देयक मिलर द्वारा निर्धारित प्रारूप में विपणन संघ को प्रस्तुत किया जावेगा।

71. मिलर द्वारा प्रस्तुत देयकों में यदि कोई कमी शेष रहती है तो विपणन संघ द्वारा मिलर को समस्त कमियों से एक ही बार में अवगत करा दिया जाएगा। बिल में शेष कमी पूर्ण किये जाने के उपरान्त विपणन संघ द्वारा मिलर को प्रस्तुत बिल की राशि में से बारदाना की कीमत एवं अन्य कोई कटौती/वसूली योग्य राशि समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

72. यदि चावल जमा के समय गुणवत्ता बाबत् कोई कटौती की जाती है तो कटौती की राशि मय 16 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज से मिलर के द्वारा प्रस्तुत देयक से काट कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

73. मिलर द्वारा मिलिंग कार्य के प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ विपणन संघ से प्राप्त धान के परिवहन कार्य के सत्यापन हेतु परिवहन दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र {पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जारी}, संबंधित टोल नाके की रसीद, ट्रक बिल्टी/आर0आर0 प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परिवहन की तिथि, ट्क का विवरण बोरों की संख्या, वजन तथा गंतव्य स्थान का विवरण होगा जहॉ कि मिलर की मिल स्थापित है।

74. मिलर मिलिंग कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद उसे मिलिंग हेतु दी गई धान उसके द्वारा मिलिंग उपरान्त विपणन संघ के पक्ष में कारपोरेशन को परिदान किये चावल एवं बारदानों का पूरा हिसाब विपणन संघ को प्रस्तुत करेगा।

75. इसके साथ ही मिलर इस बात के लिये वचनबद्ध है, कि वह इस कंडिका में ऊपर दर्शाये अनुसार धान, चावल और बारदानों का मासिक हिसाब भी प्रत्येक माह की आगामी 07 तारीख तक विपणन संघ को प्रस्तुत करेगा तथा मासिक हिसाब मिलान करायेगा।

76. विपणन संघ के अधिकृत अधिकारी किसी भी समय मिलर के लेखों का, मिल प्रांगण का,मिलिंग प्रोसेस का निरीक्षण एवं मिलिंग हेतु दी गई धान, चावल एवं सह–उत्पाद अर्थात कोढा, कनकी, भूसी आदि स्कंध का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। ऐसे निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के लिए मिलर द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा। इसमें किसी भी अनियमितता के पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

77. यह कि मिलर तत्समय प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का तथा राज्य शासन/केन्द्र शासन/कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगा। मिलर द्वारा जाने अथवा अनजाने में इनके उल्लघंन किये जाने पर इसकी पूर्ण जवाबदारी मिलर की रहेगी और ऐसे कृत्य के लिये विपणन संघ जवाबदार नहीं रहेगा।

78. यह कि मिलर ऊपर उल्लेखित कंडिकाओं में किसी का भी पालन करने में असमर्थ रहता है और परिणाम स्वरूप विपणन संघ को किसी प्रकार की हानि होती है तब उसकी वसूली विपणन संघ मिलर से करेगा।

79. यह कि मिलर ऊपर दशाई गई कंडिकाओं के अनुसार अनुबंधित धान की संपूर्ण मिलिंग करने में असमर्थ रहता है तो मिलर की अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी तथा अनुबंधित मात्रा की धान उसकी रिस्क एण्ड कॉस्ट पर विपणन संघ द्वारा अन्य जगह मिलिंग कराई जायेगी और इसमें जो भी हानि होगी, उसकी वसूली विपणन संघ मिलर से करेगा।

80. निर्धारित समयावधि में यदि राईस मिलर द्वारा अनुबंधित धान की मात्रा की तुलना में 25 प्रतिशत या उससे कम मात्रा की मिलिंग की जाती है तो अनुबंधित मात्रा अनुसार अमानत राशि राजसात की जावेगी तथा राईस मिलर को कार्य नहीं करने की पेनाल्टी, धान भंडारण व्यय तथा धान के मूल्य का

25-01-2017

ब्याज विपणन संघ में जमा कराना होगा तथा शेष अनुबंधित मात्रा की धान की मिलिंग उसकी रिस्क एण्ड कॉस्ट पर विपणन संघ द्वारा अन्य जगह से करायी जाएगी और इसमें जो भी हानि होगी, उसकी वसूली मिलर से की जावेगी।

81. इस अनुबंध की वैधता, अनुबंध की तिथि से प्रारंभ होकर मिलर द्वारा धान की पूर्ण मिलिंग के पश्चात् चावल का पूर्ण परिदान विपणन संघ के पक्ष में सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को देने तथा विपणन संघ द्वारा अंतिम हिसाब कर लेने के पश्चात् अमानत के रूप में जमा राशि वापिस करने तक की अवधि के लिये लागू होगा।

82. मिलर द्वारा धान एवं चावल के परिवहन कार्य का परिवहनकर्ता को भुगतान का दायित्व मिलर का होगा। मिलर परिवहन भाडे पर नियमानुसार देय सेवा कर संबंधित विभाग में जमा करेगा एवं विपणन संघ को इस आशय का साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

83. मिलर को भुगतान किये जाने वाले मिलिंग चार्जेज में से नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जावेगी।

84. शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के फलस्वरूप अनुबंध में उल्लेखित कंडिकाओं में परिवर्तन किये जाने पर तथा कोई अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित करने पर मिलर को अवगत कराया जावेगा एवं ऐसे परिवर्तित समस्त आदेश, निर्देश एवं प्रावधान अनुबंध का ही भाग माने जावेगें जो दोनों पक्षों को मान्य व बंधनकारी होंगे।

85. विपणन संघ द्वारा इस अनुबंध के तहत् मिलर को भुगतान योग्य राशियों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर, विवाद का निपटारा होने के बाद मिलर को केवल मूल राशि ही भुगतान की जावेगी। मिलर को लंबित राशि पर ब्याज देय नही होगा।

86. इस अनुबंध की किसी भी कंडिका को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जावेंगा।

87. सीएमआर के गुणवत्ता परीक्षण में यह पाया जाता है कि मिलर द्वारा धान की मिलिंग कराने के उपरांत एक भी सीएमआर लॉट केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित चावल के यूनिफार्म स्पेसीफिकेशन अनुरूप सीएमआर चावल नही दिया है/दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अनुबंधित राईस मिलर्स को उस खरीफ सीजन हेतु आगामी 10 दिवस तक मिलिंग कार्य नही दिया जायेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर .....
पदनाम.....	पदनाम.....
{ विपणन संघ } सील सहित	{मिलर/अधिकृत प्रतिनिधि} सील सहित
साक्षी :–	साक्षी :–
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....

25/01/2017